राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या –2912/2013

आदेश दिनांकः– **01.08.2018**

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थित–
अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :– श्री किन्सुक जैन
अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :–

प्रार्थना पत्र संख्या–7342, जिसके द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 01.10.2013 को Vacate करने की प्रार्थना की गई है, पर बहस करने हेतु प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित नहीं है ।

अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि आदेश दिनांक 01.10.2013 दोनों पक्षों के अधिवक्तागण को सुनने के बाद पारित किया गया था । प्रार्थना पत्र व आक्षेपित निर्णय व पंचाट के अवलोकन करने के बाद व इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आदेश दिनांक 01.10.2013 दोनों पक्षों के अधिवक्तागण को सुनने के बाद पारित किया गया था, इस आदेश को Vacate करने के कोई कारण व आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है ।

(न्या0 प्रकाश गुप्ता)

ऋषिकेश सोनी/ 23